संख्या– /XVIII-(2)/2017-04(10)/2011TC

**प्रेषक,**

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

**सेवा में,**

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC),
सचिवालय परिसर, देहरादून।

**आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1** **देहरादूनः दिनांक 10 फरवरी, 2017**

**विषयः–** भारतीय वायुसेना के लम्बित बीजकों के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 की आपदा में भारतीय वायुसेना द्वारा किये गये राहत एवं बचाव कार्यो के सापेक्ष वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराये गये ₹ 2,16,81,12,416.00 (₹ दो अरब सोलह करोड़ इक्यासी लाख बारह हजार चार सौ सोलह मात्र) के बिलों के सापेक्ष इतनी ही धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई है। शासन के पत्र संख्या–595, दिनांक 12.04.2016 द्वारा ₹ 40,29,29,233.00 (₹ चालीस करोड़ उन्तीस लाख उन्तीस हजार दो सौ तैतीस मात्र) तथा शासनादेश संख्या–2555, दिनांक 09.11.2016 द्वारा ₹ 100.00 करोड़ (₹ सौ करोड़ मात्र), इस प्रकार कुल ₹ 1,40,29,29,233.00 (₹ एक अरब चालीस करोड़ उन्तीस लाख उन्तीस हजार दो सौ तैतीस मात्र) की धनराशि वायुसेना को उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व में अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. के निर्वतन पर स्वीकृत की गई है। उच्चस्तर पर लिये गये निर्णयानुसार सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2013 की प्राकृतिक आपदा में राहत एवं बचाव कार्यो हेतु उपयोग में लाये गये वायुसेना के अवशेष बिल ₹ 76,51,83,183.00 (₹ छिहत्तर करोड़ इक्यावन लाख तिरासी हजार एक सौ तिरासी मात्र) की धनराशि नियमानुसार भारतीय वायुसेना को भुगतान किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**2–** स्वीकृत धनराशि भारतीय वायुसेना के लम्बित बीजकों, खोज एवं बचाव तथा राहत सामग्री वितरण आदि कार्यो की मदों में ही नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

**3–** स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. का उत्तरदायित्व होगा।

**4–** धनराशि का व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

**5–** स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.3.2017 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

**6–** भारतीय वायुसेना द्वारा वर्ष 2013 की आपदा के दौरान किये गये राहत एवं बचाव कार्यो हेतु अब तक प्रस्तुत बिल एवं भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का अन्तिम मिलान वायुसेना मुख्यालय, देहरादून से करा लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि भिन्नता पायी जाती है तो उसका समायोजन भी तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा।

**6–** उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90%

केन्द्र पोषित)– आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–245NP/वित्त अनु0–5/2016, दिनांक 10 फरवरी, 2017 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–203 (1)/XVIII-(2)/17-04(10)/20101 TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7– श्री वरूण शर्मा, Squardron leader, Senior Accounts Officer for Air officer Commanding, 1 Air force selection board clement Town dehradun.
8– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।